

पु
ज

पतामदी पेश हुदी व फीस वादी कि हुकमपत्र
ब्याज नियम P.W.1 व P.W.2 फिस नियम
अपार्ट के हस्ताक्षर करके ठीके अपनी जमान
के तत्परत मे सुपरीत लाने 10 ठीके फास
सुपरीत किने ठीके वादी के पादपत्र दिनी
किने मोतला निपदेन किने वाद वादी डिफ्टि किने
जाता है ठीके भूमि व्यजय नं 172 रकबा 1.16 ई

व्यक्ति के नाम

पता

दिनांक

अपारा नं 173 रकबा 2.53 ई फुल व्यस्य - 2

फुल रकबा 3.69 ई राजस्व प्राप्त नर हट

मे वादी का 1/6 हिस्सा सुतिपादीगण ल 1 व

2 का 2/6 हिस्सा तथा सुतिपादीगण ल 3

का 5 का 1/6 हिस्सा तथा सुतिपादीगण

अपरा 6 अर्थात् 9 का 1/6 हिस्से तथा

सुतिपादी अरबा 10 अर्थात् 14 का 1/6 हिस्से

के अतिरिक्त आहत कर घोषित किना जाता है।

उसी अवसर अतिरिक्त नाम व हिस्सा

राजस्व रिपोर्ट मे दर्ज करी उसी अवसर

दिनी सुतिपादी पतामदी फीस के अतिरिक्त

दिनांक नं 172 का भी जांच करनी पड़े

है।

उप खण्ड अधिकारी
चिडाग जिला मुन्शु (राज)

